>

Title: Need to provide pensionary benefits to ex-employees of Banks who had resigned from service.

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : सभापति महोदया, किसी बैंक का कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान (पैंशन प्राप्त होने की निश्चित अवधि से पूर्व) अपनी नौकरी से त्यागपत्र देता है तो वर्तमान पैंशन नियमों के अनुसार वह पैंशन का हकदार नहीं होता है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने निजी कारणों से बैंक की अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया है और आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और आजीविका का कोई अन्य साधन भी उनके पास नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायलयों ने अपने निर्णयों में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का आधार लेते हुए यह तर्क दिया है कि नौकरी से त्यागपत्र देने का मतलब सेवानिवृत्ति ही है।

अतः मैं आपके माध्यम से कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि त्यागपत्र देने वाले सभी पूर्व कर्मचारियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर उनके त्यागपत्र को सेवानिवृत्ति माना जाए और उन्हें पैंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

MADAM CHAIRMAN: Shrimati Jayaben B. Thakkar − Not present.